झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

आवश्यक सूचना।

GSTके अधीन माह जुलाई एवं अगस्त का रिटर्न दाखिल करने हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ

सभी करदाता को संशोधित तिथि तक GSTR-3B,GSTR-1, GSTR-2, एवं GSTR-3 दाखिल करनी है। इन विवरणियाँ को दाखिल करने की अवधि राजस्व विभाग, भारत सरकार को अधिसूचना संख्या–18/2017,19/2017,20/2017,21/2017 एवं 23/2017 के अनुसार निम्नवत् है–

माह की विरवणी	**GSTR-3B** दाखिल करनी की संशोधित तिथि	**GSTR-1** दाखिल करनी की संशोधित तिथि	**GSTR-2** दाखिल करनी की संशोधित तिथि	**GSTR-3** दाखिल करनी की संशोधित तिथि
जुलाई, 2017	28 अगस्त 2017 तक TRAN-1 के साथ	1 से 5 सितम्बर 2017 तक	6 से 10 सितम्बर 2017 तक	11 से 15 सितम्बर 2017 तक
अगस्त, 2017	20 सितम्बर 2017 तक	16 से 20 सितम्बर 2017 तक	21 से 25 सितम्बर 2017 तक	28 से 30 सितम्बर 2017 तक

करदाताओं की सुविधा हेतु एवं उनका अनुपालन (Compliance)का बोझ कम करने के लिए विभाग द्वारा सभी अंचल कार्यालय में सुविधा केन्द्रो का संचालन किया गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय हेल्पडेस्क प्रतिदिन 24 X 7 कार्यरत है जिसका टोल फ्री नम्बर–18003457020 है।

नोटः– रिटर्न दाखिला के सम्बध में पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी हेतु झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 तथा झारखण्ड माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 को देखा जा सकता है, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

निर्धारित तिथि तक वांछित सभी विवरणी दाखिल करें। इसमें शीघ्रता करें एवं अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचें।

वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

आवश्यक सूचना।

TRAN- 1 दाखिल करने वाले सभी करदाता द्वारा इसे निम्नवत दाखिल किया जा सकता हैः–

1. www.gst.gov.in पर लॉग–इन करने के पश्चात् Services में Return के अंतर्गत Transition Formsको Clickकरें।
2. Click करने के उपरान्त TRAN-1 दिखेगा।
3. आपके द्वारा पूर्ववर्ती अधिनियम यानी VAT के अधीन GST लागू होने के ठीक पहले के 6 महीनों के लिए विवरणी दाखिल किया गया है या नही, इसके आधार पर Yes या No को Select करें।
4. TRAN-1 के सभी कॉलम में आवश्यक विवरण भरें एवं उसे Save करें। System द्वारा इसकी जांच स्वतः की जाएगी एवं त्रुटि पाये जाने पर Validation Error बताया जाएगा। Edit Button दबाने से इस त्रुटि के कारण की जानकारी मिल सकेगी।
5. पूर्व अधिनियम के ITC Carry forward को कॉलम 5(c) में भरें। अगर 5(a) एवं 5(b) भी आपके मामले में लागू हो तो उसे भी भरें। पूर्व के अधिनिमय (VAT) का वही निबंधन संख्या दर्ज किया जाय, जिसके आधार पर Enrolment कराया गया है।
6. Button 6(a), 6(b) को Click करते हुए वैसे पूंजीगत मालों को घोषित करे, जिसपर पूर्व के अधिनियम में अनुमान्य सम्पूर्ण Credit नहीं ली गयी थी, परन्तु GST के अंतर्गत ये अनुमान्य है।
7. ऐसे करदाता जिनके लिए पूर्व के अधिनियम में निबंधन लेने की बाध्यता नहीं थी, उनके द्वारा Button 7(a) ,एवं 7(b) को Click करते हुए Stock पर Input का विवरण घोषित करें जो पूर्व के अधिनियम के अंतर्गत कर एवं शुल्क के रूप में भुगतान किया गया था एवं जो GST के अंतर्गत अनुमान्य है।
8. तलिका 7(c) में पूर्व के अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किये गये कर तथा माल एवं सेवा पर अनुमान्य Input Tax Credit को लागू होने की तिथि के 30 दिनों के अंदर घोषित करें। विस्तारित अवधि के मामले में इसे 60 दिनों के अंतर्गत घोषित करना है।
9. Button 8 को Click करते हुए Table 5(a) में Transfer/Distribution संबंधित Central Tax Credit का विवरण घोषित करें, अगर आप पर लागू हो।
10. अगर आपके द्वारा किसी Job Worker के पास माल भेजा गया हो और वह उसके स्टॉक में हो, तो कॉलम 9(a) एवं 9(b) भरें।
11. अगर ऐजेंट के स्टॉक में माल हो तो ऐजेंट द्वारा कॉलम 10(b) एवं प्रिंसिपल द्वारा 10(a) भरा जायेगा।
12. यदि किसी आपूर्ति के सम्बन्ध में वैट अधिनियम तथा सेवा कर अधिनियम दोनो के अधीन कर का भुगतान किया गया है, तो भुगतान किए गए दोनो करों की सूचना कॉलम 11 में दी जायेगी।
13. 6 माह पूर्व Approval पर दिए गए मालों की जानकारी कॉलम 12 में दी जायेगी।
14. आप से सम्बन्धित उपर्युक्त सूचनाओं के भरे जाने के बाद अथवा इन्हें भरे जाने के दौरान भी इन्हें Save किया जा सकता है। उपरोक्त कॉलम में भरी जाने वाली सूचनाएँ पहले से तैयार कर रखने से प्रपत्र को भरने में काफी आसानी होगी। इसे Submit करने से पूर्व इस Print-Out लेकर मिलान कर लिया जाय, क्योंकि Submit करने के उपरांत इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है।
15. Tran-1 submit करने के पश्चात दावा की गयी राशि Credit Ledger में उपलब्ध हो जायेगा।
16. इसके पश्चात इसे Digital Signature (DSC) अथवा Electronic Verification Code (EVC) के माध्यम से File करें।
17. File करने पश्चात पावती (Acknowledgement) generate हो जायेगा।
18. Credit ledger में उपलब्ध राशि जुलाई अथवा उसके बाद किसी माह के दायित्व के भुगतान हेतु उपलब्ध रहेगी।

वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, रॉची।